प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 09.07.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.07.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, परियोजना निदेशक एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए। **बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये :–**

1. मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 03.07.2019 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विभाग में एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के तहत बुडको के अधीन अभियंताओं के सृजित पदों को नगर विकास एवं आवास विभाग (राज्य सरकार) के अंतर्गत सृजित किया जाना है और उनका नियमित सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी के रूप में नियुक्ति किया जाएगा तथा विभाग द्वारा इनका पदस्थापन बुडको एवं नगर निकायों इत्यादि में किया जाएगा, परन्तु बुडको में पूर्व के स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में संविदा पर नियोजित विभिन्न स्तर के अभियंताओं की सेवा बरकरार रखी जाएगी एवं जैसे–जैसे उनकी संविदा समाप्त होंगी, वैसे–वैसे उन पदों को नगर विकास एवं आवास विभाग में समाहित कर लिया जाएगा। एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों की नियुक्ति राज्य सरकार के अंतर्गत होगी।

   निर्देश दिया गया कि इस संबंध में प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति हेतु संलेख प्रारूप 02 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से संचिका में उपस्थापित किया जाय। प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति परिचालन विधि के माध्यम से प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय। तदोपरांत मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। **(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**

2. स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत शौचालय निर्माण हेतु मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 10.07.2019 तक नगर निकायों में शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और इस संबंध में सभी निकायों को दिशानिर्देश भी निर्गत किये गये हैं। बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि कई निकायों में उपलब्धि निराशाजनक है। इस संबंध में सभी परियोजना पदाधिकारियों एवं जिले के नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने जिले के नगर निकायों के साथ समन्वय कर उपलब्धि सुनिश्चित कराएंगे। **(अनुपालन– जिले के सभी नोडल पदा०/परियोजना पदा०)**

   सभी परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन नगर निकायों में उपलब्धि अत्यंत ही कम है, उन निकायों में दिनांक 10.07.2019 से ही कैम्प कर शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित कराएंगे। इस हेतु श्री संजय दयाल, विशेष सचिव, सभी परियोजना पदाधिकारियों का आज ही रोस्टर तैयार कर उन्हें निकायों में कैम्प कराना सुनिश्चित करेंगे।

   (अनुपालन–श्री संजय दयाल, वि०स०/परियोजना पदा०)

   परियोजना निदेशक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गोगरी जमालपुर में शौचालय निर्माण की राशि विमुक्ति में कठिनाई है, जिसके कारण उपलब्धि अत्यंत ही असंतोषजनक है। इस संबंध में निर्देश दिया गया कि चूँकि श्री के०डी० प्रोज्ज्वल, उप सचिव खगड़िया जिले के नोडल पदाधिकारी हैं, अतः वे गोगरी जमालपुर नगर पंचायत में दिनांक 11.07.2019 को कैम्प कर कार्य में शत–प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित कराएंगे। **(अनुपालन–श्री के०डी० प्रोज्ज्वल, उप सचिव)**

3. नोडल पदाधिकारी (स्वच्छ भारत मिशन) को निर्देश दिया गया कि जिन निकायों में शौचालय निर्माण की प्रगति अत्यंत ही धीमी एवं प्रगति असंतोषजनक है, उनके कार्यपालक पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रपत्र

'क' में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)

4. नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण एवं exposure visit के लिए निर्देश दिया गया कि रोस्टर के अनुसार नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों/कार्यपालक पदाधिकारियों/नगर निकाय कर्मियों के लिए प्रशिक्षण एवं exposure visit के लिए कैलेण्डर निर्धारित किया जाय और इस हेतु अलग–अलग प्रशिक्षणदाता संस्थाओं को कार्य दायित्व निर्धारित किया जाय। इन संस्थाओं द्वारा राज्य/संबंधित निकाय में आकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और कैलेण्डर में निर्धारित तिथियों के अनुसार संबंधित संस्थाओं द्वारा exposure visit की व्यवस्था की जाएगी।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–5)

5. विभाग द्वारा तैयार किये गये नीति/नियम/विनियम आदि का कम्पेडियम तैयार किया जाय। इस हेतु संबंधित पदाधिकारियों/प्रशाखाओं से समन्वय कर इससे संबंधित परिपत्रों को प्राप्त कर कम्पेडियम तैयार किया जाएगा और इसे ई०–कम्पेडियम के रूप में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। कम्पेडियम तैयार किये जाने संबंधी कार्य PMC-NULM के IEC टीम द्वारा किया जाएगा।

(अनुपालन :– Team Leader, PMC-NULM)

6. नवनियुक्त बिहार नगर सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। इनमें तत्काल वैसे कार्यपालक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाय, जिनके निकाय में शौचालय निर्माण एवं SWM के कार्य में शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है।

(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

7. नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के बिन्दुओं के संबंध में DMI से study report प्राप्त किया जाय।

(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

8. ई०–गवर्नेंस एवं आई०टी० को मिलाकर एक अलग कोषांग के गठन की कार्रवाई की जाय ताकि आई०टी० से संबंधित मामलों का निष्पादन एक जगह से हो सके।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)

9. TCPO एवं विभाग के समूह 'घ' के कर्मियों का सेवा सत्यापन पिछले कई वर्षों से नहीं हो पाया है। सेवा सत्यापन नहीं होने के कारण इन कर्मियों की प्रोन्नति को विभागीय प्रोन्नति समिति की पिछली बैठक में अस्वीकृत भी कर दिया गया था। इस संबंध में श्री दयाशंकर झा, प्रशाखा पदाधिकारी–1 द्वारा बैठक में बताया गया कि इन कर्मियों का सेवा सत्यापन हो गया है।

निर्देश दिया गया कि इनमें जिन कर्मियों का ए०सी०पी० अनुमान्य है, उनका ए०सी०पी० की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन– प्रशाखा पदाधिकारी–1)**

10. Advocate का पैनल revise करने हेतु कार्रवाई की जाय। इस हेतु विज्ञापन प्रकाशित की जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–8)

11. सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यदि विभाग की या किसी निकाय में कोई महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ होता है या योजना पूर्ण होता है तो उससे संबंधित प्रतिवेदन NULM team के मिडिया प्रभारी को उपलब्ध कराया जाय और मिडिया प्रभारी द्वारा जनसाधारण को इससे अवगत कराने हेतु मिडिया को उपलब्ध कराया जाएगा।

(अनुपालन :– सभी विभागीय पदाधिकारी/मिडिया प्रभारी)

12. कोर्ट केस के वैसे सभी मामलों, जिनमें विभाग formal party नहीं है और महत्वपूर्ण मामले हैं, वैसे मामलों की सूची तैयार कर ली जाय और प्रत्येक बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित की जाय ताकि महत्वपूर्ण एवं urgent मामलों का निष्पादन हो जाय। **(अनुपालन :– सभी प्रशाखा पदाधिकारी)**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

11/7/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3574 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 11/7/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी परियोजना पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/Team Leader, PMC (NULM)/Team Leader, SPMG/Team Leader, AMRUT/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/7/2019

प्रधान सचिव